राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

कमांक प.3(17)राज–6 / 2021/46 जयपुर, दिनांकः– 14/02/2022

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम, संख्या 15) की धारा 260 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार "प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021" के दौरान आयोजित शिविरों में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–ए के तहत नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (अधिनियम 3 वर्ष 1955) की धारा 53 की उप–धारा (2) (i) एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत भूमि विभाजन के लिए तहसीलदार पर प्रदत्त शक्तियों एवं अधिरोपित कर्तव्यों को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु एतद्द्वारा अधिकृत करती है।

यह अधिसूचना "प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021" की अवधि के दौरान ही प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

14/02/2022
(रामचरण शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
8. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. निबन्धक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर।
10. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दिनांक 14/02/22 में प्रकाशन हेतु।
11. रा.वि.रा. राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
12. समस्त संयुक्त शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

14/02/2022
शासन उप सचिव